राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 35/17

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 22.09.2017 निर्णय दिनांक : 12.12.2017

राजस्थान सरकार बनाम अशोक कुमार पुत्र नारायणराम जाति मेघवाल नि0 कुचामन सिटी

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का परेवड़ी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अशोक कुमार पुत्र नारायणराम जाति मेघवाल निवासी परेवड़ी नें ग्राम परेवडी के खसरा नम्बर 283 कुल रकबा 3.17 हैक्टेयर में से रकबा 3.17 हैक्टर अर्थात सम्पूर्ण किस्म गै.मु. बारानी प्रथम भूमि पर सम्वत 2074 में बाड़ करके अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटिस की प्रति गैर सायल स्वय ने प्राप्त किया। गैर सायल उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र व अभिभाषक –पत्र पेश कर जवाब एवं साक्षय सबूत पेश करने हेतु समया चाह गया । समय दिया गया। तथा गैर सायल द्वारा कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये।

गैर सायल आज दिनांक को अनुपस्थित रहा। जिससे उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई गैर सायलान का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि गैर सायलान ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहे है।

गैर सायलान को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा ग्राम परेवड़ी के आराजी राज खसरा नम्बर 283 कुल रकबा 3.17 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बारानीप्रथम भूमि में से रकबा 3.17 हैक्टेयर अर्थात सम्पूर्ण भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर

अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायल पर **लगाान** 15.85 का पच्चास गुणा से राशि 795/– अक्षरे सात सौ **पिचानवे रूपये** जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को गैर सायल को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद शर्मा)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0

मॉग कायमी रा.ले.स.-4
पृष्ठ संख्या 12
वर्ष 2017-18
रा. जुर्माना 795
क. नियामी –
गोचर जुर्माना –
प्रा.पैदावार –
तरालें कुचामन सिटी